

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बर्डजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 118/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक: 20.9.2018
अन्तर्गत धारा: 76 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. मांगीलाल
2. राधेश्याम
पिसरान बिरधीलाल जाति माली निवासी जोश्या का खेडा कापरेन हाल निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज०।
3. मोहनी बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी तोलाराम जाति माली निवासी ग्राम मालीयो का नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा-राज०।
4. रमेश चंद
5. किशन मुरारी
पिसरान मोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम भीया तहसील के पाटन जिला बूंदी-राज०

...अपीलाट्स

बनाम

1. बरही बाई पुत्री भोज्या पत्नी शिवकरण जाति माली निवासी धाकडो का मोहल्ला कापरेन जिला बूंदी-राज०
2. महावीर
3. हनुमान
4. नरोत्तम
पिसरान कैलाश जाति माली निवासीगण ग्राम जोश्या का खेडा कापरेन तहसील के० पाटन जिला बूंदी।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार के० पाटन जिला बूंदी।


... रेस्पोंडेन्ट्स

✓ (2) प्रकरण संख्या: 119/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी

उनवान

1. मांगीलाल
2. राधेश्याम
पिसरान बिरधीलाल जाति माली निवासी जोश्या का खेडा कापरेन हाल निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज०।
3. मोहनी बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी तोलाराम जाति माली निवासी ग्राम मालीयो का नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा-राज०।
4. रमेश चंद
5. किशन मुरारी
पिसरान मोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम भीया तहसील के पाटन जिला बूंदी-राज०

...अपीलाट्स



- 2 संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं, कि वादग्रस्त आराजी का रेस्पो0 क्रम-1 बद्दीबाई द्वारा नामा0 सं0 93 दिनांक 23.7.2010 ग्राम जोश्या खेडा खातेदार चाहन्या व नटी बाई के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम एवं नामा0 सं0 110 दिनांक 8.3.90 ग्राम जोश्या खेडा खातेदार लाड कंवर एवं केशरा के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम तथा नामा0 सं0 109 दिनांक 8.3.90 ग्राम जोश्या खेडा खातेदार लाड कंवर फौत होने पर उनके वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नामा0 उसके पक्ष में की रजिस्टर्ड वसीयत एवं कब्जे की जांच किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बगैरे तीनों नामान्तरकरण वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने से नामा0 निरस्त किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 13.7.2017 को उक्त तीनों अपीलों को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण वसीयत के तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच करके उभय पक्ष की सुनवाई कर नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पो0 बद्दीबाई द्वारा प्रथम अपील में किये गये अभिवचन से यह स्पष्ट है कि उसने तहसीलदार के0 पाटन को लाड कंवर द्वारा की गई वसीयत के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी और वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोले जाने के लिये आवेदन नहीं किया था ऐसी स्थिति में लाड कंवर के नैसर्गिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में खोले गये नामान्तरण को 27 वर्ष बाद अपील में चुनौती दिया जाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। रेस्पो0 बद्दीबाई द्वारा नामा0 सं0 93 दिनांक 23.7.2010 की सूचना पटवारी हल्का से दिनांक 20.10.2014 को होना प्रकट करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया किन्तु न तो पटवारी का शपथ पत्र प्रस्तुत और न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। ऐसी स्थिति में बद्दीबाई का उक्त कथन नितान्त असत्य है क्योंकि बद्दीबाई को प्रारम्भ से ही उपरोक्त नामा0 की जानकारी थी। नामान्तरण की जानकारी विलम्ब से होने का सद्भावी एवं उचित कारण नहीं बताया गया इसके बावजूद नामा0 खोले जाने के 4 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील में विलम्ब क्षमा करके अपील स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। प्रक्रिया के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को पहले प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम को निर्णित करना चाहिये था उसके बाद अपील को गुणावगुण पर सुना जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र एवं अपील का एक साथ निर्णय करके प्रक्रियात्मक एवं वैधानिक त्रुटि की है। लाडकंवर ने रेस्पो0 बद्दीबाई के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की अपील विषयक पत्रिक सम्पत्ति का अभी तक पक्षकारों के मध्य बटवारा नहीं हुआ है लाडकंवर को वसीयत करने का अधिकार भी नहीं था। नामा0 की संक्षिप्त कार्यवाही में स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। वसीयत को नियमानुसार साक्ष्य के बिना साबित नहीं किया जा सकता। वसीयत को निर्णित करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्णय नामान्तरकरण की कार्यवाही में किया जाना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति वसीयत के आधार पर अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक से अन्य उत्तराधिकारियों को वचित करना चाहता है तो उसे अपने अधिकार की घोषणा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर करवानी चाहिये पक्षकार अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात एवं विनिर्णयों का भली भांति विवेचन नहीं किया अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।
- 3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि बद्दीबाई द्वारा चाहन्या व नटी के फौत होने उपरांत उसके वारिसान के नाम तस्दीक किये गये नामा0 सं0 93 दिनांक 23.7.2010 के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में दिनांक 31.10.2014 को लगभग 4 वर्ष बाद अपील पेश की गई जो मियाद बाहर थी। बद्दीबाई को वसीयत की 27 वर्ष तक जानकारी नहीं होने संबंधी तथ्य निराधार

है। इसी प्रकार नामा० सं० 109 व 110 के विरुद्ध वर्ष 2017 में लगभग 24 वर्ष बाद अपील पेश की गई जिसमें बद्रीबाई ने कहा था कि लाडबाई ने वसीयत की है अतः स्पष्ट है कि बद्रीबाई को वर्ष 2014 में पेश की गई पहली के समय ही नामा० सं० 109 व 110 की जानकारी थी। नामान्तरण की जानकारी विलम्ब से होने का सद्भावी एवं उचित कारण नहीं के बावजूद विलम्ब क्षमा करके अपील स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। बहस में यह भी बताया कि लाडकंवर ने रेस्पो० बद्रीबाई के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की अपील विषयक पैत्रिक सम्पत्ति का अभी तक पक्षकारों के मध्य बटवारा नहीं हुआ है लाडकंवर को वसीयत करने का अधिकार भी नहीं था। नामा० की संक्षिप्त कार्यवाही में स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। वसीयत को नियमानुसार साक्ष्य के बिना साबित नहीं किया जा सकता। वसीयत को निर्णित करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्णय नामान्तरण की कार्यवाही में किया जाना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति वसीयत के आधार पर अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक से अन्य उत्तराधिकारियों को वचित करना चाहता है तो उसे अपने अधिकार की घोषणा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर करवानी चाहिये अपने तर्क के समर्थन में आरआरडी 1982 पेज 1 डीएनजे (सुप्रीम) 2014 पेज 310 आरआरडी 1990 पेज 649 आरआरडी 2009 पेज 123 आरआरडी 2012 पेज 765 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।

- 5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो० क्रम-1 ने बहस में बताया कि लाडकंवर ने अपने हिस्से की रजिस्टर्ड वसीयत बद्रीबाई के पक्ष में निष्पादित की है। वसीयत सामने नहीं आई। वसीयत की जानकारी होने पर विवादित नामान्तरण के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० क्रम-1 बद्रीबाई द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर वसीयत के तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच करके उभय पक्ष की सुनवाई कर नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया है जिसमें कोई गलती नहीं है। अपीलांत वसीयत से किसी प्रकार व्यथित है तो उसको सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर चुनौती देने के लिये स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अपील करने का अनुरोध किया।
- 6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.7.2017 को उक्त तीनों अपीलों को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश (नामा० सं० 93, 109, 110) निरस्त कर प्रकरण वसीयत के तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच करके उभय पक्ष की सुनवाई कर नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांत का मुख्य तर्क है कि अवधि बाधित अपीलों को स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा० पत्र के प्रस्तुत जवाब के साथ खण्डन में शपथ पत्र पेश नहीं किया गया ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने 27 वर्ष बाद प्रस्तुत हुई अपील को आरआरडी 1998 पेज 319 के आलोक में रजिस्टर्ड वसीयत की पालना नहीं होने से अपीलों को सारहीन होना नहीं मानते हुये गुणावगुणों के आधार पर विचार कर प्रकरण निर्णय किये जाने हेतु परीक्षण न्यायालय को रिमांड किया है जिसमें हमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत अपील प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 1982 पेज 1 डीएनजे (सुप्रीम) 2014 पेज 310 चम्पा नहीं होते हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नामा० सं० 93 दिनांक 23.7.2010 खातेदार चाहन्या व नटी बाई के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम एवं नामा० सं० 110 व 109 दिनांक 8.3.90 खातेदार लाड कंवर के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व बद्रीबाई को सुनवाई का अवसर नहीं देने तथा ना ही कब्जे के संबंध में जांच की गई वर्णित करते हुये नामा० सं० 93 में वसीयत संबंधी भूमि होने से बद्रीबाई नैसर्गिक वारिस होने से अपने हितों

13.7.2017
 प्रेष

का निर्धारण करवाने का पात्र होना मानते हुये बद्रीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत तीनों अपीलों को जेरअपील निर्णय दिनांक 13.7.2017 से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया है। जहां तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट का वसीयत के संबध मे अपने हक हकूको की घोषणा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर कराने का तर्क है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे वर्णित किया है कि नामा0 सं0 93 मे वसीयत संबधी भूमि होने से बद्रीबाई नैसर्गिक वारिस होने से अपने हितो का निर्धारण करवाने का पात्र होना मानकर बद्रीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत तीनों अपीलों को जेरअपील निर्णय दिनांक 13.7.2017 से स्वीकार कर वसीयत के तथ्यो की प्रमाणिकता की जांच करके उभय पक्ष की सुनवाई कर नियमों मे निहित प्रावधानो के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की जाना प्रकट नही होता है ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 1990 पेज 649 आरआरडी 2009 पेज 123 आरआरडी 2012 पेज 765 चस्पा नही होते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

- 7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
- 8 निर्णय आज दिनांक 9.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गिरिवामी)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा